अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 177/2014

अपीलार्थी – रंजना कुमारी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य

आदेश

यह आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1045 दिनांक 28.2.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में मामला यह है कि महिला पर्यवेक्षिका त्रिवेणीगंज रेखा कुमारी द्वारा दिनांक 14.5.2013 को 11:30 बजे त्रिवेणीगंज परियोजना के केन्द्र सं0– 214 का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में सेविका श्रीमती रंजना कुमारी अनुपस्थित थी , तथा सहायिका उपस्थित थी।

केन्द्र से अनुपस्थित रहने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1298 /प्रो0 दिनांक 24.8.2013 द्वारा सेविका श्रीमती रंजना कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग कि गई दिनांक 2.9.2013 को सेविका श्रीमती रंजना कुमारी ने उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/पक्ष रखा। अपने स्पष्टीकरण में श्रीमती रंजना कुमारी ने बताया कि निरीक्षण के तिथि को मैं केन्द्र पर उपस्थित थी, एवं उक्त तिथि को भी 32 बच्चों को पोषाहार मीनू अनुसार वितरण की हूँ। लेकिन मेरे उपर झुठा आरोप लगाया कि निरीक्षण तिथि को मैं अनुपस्थित हूँ। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने सेविका

द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से असहमति व्यक्त करते हुए उन्हें चयन मुक्ति आदेश ज्ञापांक 1045 दिनांक 28.2.2014 निर्गत किया गया।

उपर्युक्त सारे वर्णित बातों के आलोक में इस न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण व खंडित करने योग्य इस आधार पर बनता है, कि निरीक्षण तिथि 14.05.2013 जिसमें महिला पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी ने केन्द्र का निरीक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने आँगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण पंजी के Format में मंतव्य कॉलम में अंकित किए है कि आज दिनांक 14.05.2013 को केन्द्र सं0– 214 का 11:30 बजे निरीक्षण किया केन्द्र पर बच्चों की संख्या 25 पाई सहायिका उपस्थित सेविका अनुपस्थित। सहायिका से पता चला कि सेविका की तबीयत अचानक खराब (काफी सिर दर्द) हो गई है। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि सेविका कुछ देर पहले निकली है, सेविका को चेतावनी कि किसी भी कारणवश अवकाश लेकर ही निकले केन्द्र पर कोई पंजी उपलब्ध नहीं। उसी निरीक्षण प्रतिवेदन में यह भी अंकित है कि केन्द्र पर मीनु विवरणी प्रदर्शित, लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित पूरक पोषाहार में रासिया दिया जा रहा था, जिसकी मात्रा 5 किलो थी पोषाहार की गुणवता अच्छी थी। उपस्थित बच्चों की संख्या –25 था पोशाक में 7 बच्चे थे कुल –32 बच्चे थे।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण तिथि को ससमय सारे कार्यो का निष्पादन सेविका द्वारा किया गया है, 32 लाभुक बच्चों को पूरक शिक्षा, एवं अच्छी गुणवता युक्त रसिया मीनु के अनुसार दिया गया है, फिर भी सेविका को अनुपस्थित बताकर चयन मुक्त आदेश कर देना नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। जबकि सहायिका ने उन्हें बताया कि सेविका अचानक तबीयत खराब (सिर दर्द) होने के वजह से कार्य को निष्पादन कर घर चली गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि सेविका तो निरीक्षण तिथि को उपस्थित थी ही उपस्थित ग्रामीणो ने भी निरीक्षी पदाधिकारी को यह बात बताया फिर भी, अगर थोड़ी देर के लिए केन्द्र से चली गई तो भी चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः न्यायोचित नहीं है, गलत है।

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के अधार पर कहा जा सकता है कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को भी केन्द्र का संचालन समुचित रूप से सेविका/ सहायिका द्वारा संचालित था। तभी तो लाभुक बच्चे 32 उपस्थित थे, पूरक

(निरीक्षी पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार) तो फिर चयन मुक्ति आदेश न्यायोचित नहीं है, खंडित करने योग्य है, अगर निर्धारित अवधि में ससमय कार्यो को निष्पादित करने के उपरान्त तबियत खराब होने पर सहायिका को बोलकर सेविका के चले जाने की स्थिति में इतना कठोर दंड चयनमुक्त कर देना नैसर्गिक न्याय का सर्वथा उल्लंघन है।

अतः न्यायालय सेविका को पुनः आदेश निर्गत तिथि से अपने पद पर बहाल करने का निर्देश देती है, साथ ही उनसे अनुरोध करती है कि भविष्य में निर्धारित अवधि में केन्द्र छोड़ने से पहले एक आवेदन देकर ही प्रस्थान करे ताकि उच्चाधिकारी के आगमन के समय आवेदन प्रस्तुत किया जा सके साथ ही यह पता चले कि अमुख–अमुख जरूरी कार्य होने के कारण वे केन्द्र छोड़कर जा रही है, अन्यथा यह माना जाएगा कि वे मन से अपने कार्य में रूचि नहीं रखती है, उनमें जवाबदेही का अभाव है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा